



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 264 / 2022 GCMS NO. 2022/423 उनवानी मैसर्स पार्थीव माइन्स बनाम मन्दिर मूर्ति आदि अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>9.11.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर नहीं आये तथा न ही प्रार्थी हाजिर आया। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर नहीं आये। प्रार्थी स्वयं भी हाजिर नहीं आया तथा न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के नियम 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="text-align: center;">  <p>(बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div>	